# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 47 / 2013
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 11.03.2020

1. गोपाल पुत्र दिनेश चंद नाबालिग वलीसरपरस्त खुद माता मंजू पत्नि दिनेश चन्द जाति ब्राह्मण निवासी सिचाई विभाग के पास, नदबई, तहसील नदबई (भरतपुर)राज.
2. सूर्यप्रकाश पुत्र दिनेश चंद नाबालिग वलीसरपरस्त खुद माता मंजू पत्नि दिनेश चन्द जाति ब्राह्मण निवासी सिचाई विभाग के पास, नदबई, तहसील नदबई (भरतपुर)राज.

प्रार्थी

बनाम

1. दिनेश चंद पुत्र कंचन जाति ब्राह्मण निवासी सिचाई विभाग के पास, नदबई, तहसील नदबई (भरतपुर)राज.
2. रेवती पुत्री कंचन जाति ब्राह्मण निवासी नदबई, तहसील नदबई (भरतपुर)राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
4. श्रीमान सब रजिस्ट्रार नदबई

अप्रार्थी

उपस्थित श्री ओमप्रकाश पाराशर एड0
श्री डालचन्द एड0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह है कि उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह है कि विवादित आराजी खसरा न. 414 रकवा 0.18, 420 रकवा 0.19 किता 2 रकवा 0.37 है. वाके ग्राम कारोंमेव तहसील नदबई में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का बाबा व अप्रार्थी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 3,4,5,8 का नाना कंचन पुत्र नानगा संपूर्ण हिस्से पर खातेदार काश्तकार रेवन्यू रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन अब कंचन का देहांत करीब 7 वर्ष पूर्व हो चुका है। जिसके वारिसान दो पुत्र प्रतिवादी सं. 1 व 2 व 3 पुत्रियां है जिनमें से एक लक्ष्मी का देहांत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी सं. 5 लगायत 8 है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण का सजरा पेश है।



Scanned by CamScanner

3. यह है कि आराजी मुतदाविया हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति की आराजी है। जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 3 लगायत 8 मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे हैं। तथा उक्त आराजी के प्रार्थीगण अप्रार्थीगण सं. 1 जो कि वादीगण के पिता है दिनेश 1/5 हिस्सा में से खातेदार काश्तकार हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 प्रत्येक आराजी में 1/15 हिस्से के खातेदार काश्तकार तथा इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।
4. यह है कि प्रार्थीगण का पिता दिनेश प्रार्थीगण व उनकी मां मंजू से सख्त नाराज है तथा उनको जबरन घर से निकाल दिया है तथा अप्रार्थीगण सं. 1 जुआरी व शराबी किस्म का व्यक्ति है। तथा अप्रार्थीगण सं. 1 प्रार्थीगण को आराजी मुतदाबिया में अपने हक हकूको से महरूम करना चाहता है। और अपने नाम आराजी मुतदाबिया का दाखिल खारिज करवाते हुये प्रार्थीगण को अपने हिस्से से महरूम करना चाहता है। व प्रार्थीगण के हिस्से को अपने हिस्से में मिलाकर दीगर जगह रहनवयमुंकिल करना चाहता है। जिसके वावत अप्रार्थीगण सं. 1 की अन्य लोगों से चोरी छुपे बेचान करने की बात चल रही है। जिससे आराजी मुतदाबिया पैतृक संपत्ति होने के कारण प्रार्थीगण का जन्म से ही अधिकार है। और इसी अनुरूप अप्रार्थीगण सं. 1 के साथ वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं।
5. यह है कि आराजी मुतदाबिया प्रार्थीगण के बाबा कंचन की पैतृक संपत्ति होने के कारण प्रार्थीगण आराजी मुतदाविया में अप्रार्थीगण सं. 1 के साथ 1/5 हिस्सा बनता है। जिसमें प्रार्थीगण अप्रार्थीगण सं 1 नियमानुसार प्रत्येक 1/15 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। चूंकि अप्रार्थीगण सं. 1 प्रार्थीगण का पिता है। तथा कर्ता खानदान होने के कारण आराजी मुतदाबिया में पूरे हिस्से की भूमि का दाखिला खारिज कराते हुये पूरे हिस्से को मुन्तकिल करने पर उतारू है। तथा अप्रार्थीगण ने दिनांक 01.04.13 को वादीगण को यह एलानियां धमकी दी है कि वह आराजी मुतदाबिया को वादीगण के हकूकों को खत्म करते हुये अपने नाम आराजी मुतदाबिया का दाखिल कराकर दीगर व्यक्ति को रहनवयमुंतकिल करेगा व प्रार्थीगण को अपने हिस्से से महरूम कर देगा और जिसका कि अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। अगर अप्रार्थीगण सं. 1 अपनी दी गयी धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से नहीं हो सकेगी अतः प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं।
6. यह है कि प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मुकदमा जरिये स्थगन आदेश से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी में मदाखलत व मजामहत नहीं करे व रहनवयमुंतकिल नहीं करे साथ ही राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रार्थी की तरफ से ओमप्रकाश पाराशर पेश हुये। अप्रार्थी सं. 1लगायत 2, 4 की तलबी हो चुकी है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 2 की ओर से श्री डालचन्द एडवोकेट उपस्थित हुये

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटोप्रति हाल जमाबंदी संबत 2069–72 वाके ग्राम कारों मेव तहसील नदबई पेश किये गये।

हमने उभय पक्षकारान के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी प्रार्थी द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में जबाब के तथ्यों को दोहराया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

1. प्राईमाफेसी केस :– दावा 53,88,188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अंतर्गत है। प्रार्थीगण अपने पिता की संपत्ति में अपने हिस्से मुताबिक खातेदारी घोषणा चाहते हैं। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। विवादित आराजी प्रार्थीगण के दादा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जो जमाबंदी संबत 2069–72 से साबित है, अर्थात विवादित आराजी प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 की पैतृक आराजी है। प्रार्थी के दादा फौत हो चुके हैं। प्रथमदृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है।
2. सुविधा का सन्तुलन –: बिन्दु सं. 1 के मद्धेनजर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।
3. अपूर्णीय क्षति –: यदि अप्रार्थी सं. 1 विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करता है तो प्रार्थीगण को अनावश्यक मुकदमेबाजी का सामना करना पडेगा साथ ही दावे के निस्तारण में देरी होगी। अतः अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होगी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा न. 414 रकवा 0.18, 420 रकवा 0.19 किता 2 रकवा 0.37 है. वाके ग्राम कारोंमेव तहसील नदबई जिला भरतपुर पर विवादित आराजीयात की दावे के निस्तारण तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को ताफैसला मुकदमा पावंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner